an>

Title: Need to amend the Coastal Regulation zone Notification, 2011 to facilitate the rehabilitation of jhuggi clusters in Greater Mumbai.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) ः महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग द्वारा दिनांक 27-8-2013 एवं 23.12.2013 में केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ग्रेटर मुम्बई के सी.आर.जेड. के अधीन क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा गया था।

इस बारे में राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के साथ दिनांक 07.11.2013 में चर्चा भी की थी, लेकिन केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन दिनांक 06.01.2011 में अब तक संशोधन न होने के परिणामस्वरूप ग्रेटर मुम्बई के सी.आर.जेड. के अधीन क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यदि केन्द्र सरकार के उक्त नोटिफिकेशन में संशोधन कर दिया जाता है तो ग्रेटर मुम्बई जहां एक बड़ी संख्या में झुग्गी-झोपड़ियां हैं, उनका पुनर्वास कार्य सरलता से हो सकेगा।

अतः मेरा माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि राज्य सरकार ने ग्रेटर मुम्बई के सी.आर.जेड. के अधीन क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है, उसमें शीघ्र कार्यवाही करते हुए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का कष्ट करें, जिससे ग्रेटर मुम्बई की झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास का कार्य प्रारम्भ हो सके।